सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2025 / 102 दर्ज तिथिः—17.03.2025

1. मोटाराम पुत्र जोगाराम
   जाति मेगवाल निवासी बोरली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.............................प्रार्थी

बनाम

1. सोनाराम पुत्र अमरराराम
2. हुआदेवी पत्नी रामाराम
3. समदादेवी पत्नी लालाराम
4. हरियों देवी पत्नी नरसींगाराम
5. शांतिदेवी पत्नी ईसराराम
6. सवाराम पुत्र मकाराम के कायम मुकाम
   6 / 1— भागीरथ पुत्र सवाराम
   6 / 2— दुर्गाराम पुत्र सवाराम
7. केलीदेवी पत्नी मोहनलाल
   जाति गुरूड़ा निवासी सिंधासवा चौहान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
8. शाखा प्रबंधक एचडीएफसी शाखा जयपुर
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

...........................अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री जगदीश कड़वासरा
अप्रार्थीः— एकतरफा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—212
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—:निर्णयः—

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा—212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने निवेदन किया गया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1282 / 856 / 19.0040 मौजा बोरली पटवार मंडल बारासण तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी के हिस्से निश्चित व निर्धारित होकर दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी का बिना विभाजन करवाए दीगर व्यक्तियों को बेचान करने

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 19:55:21 IST
Reason: SelfAttested

एवं मौके पर प्रार्थीगण को बेदखल कर दीगर व्यक्तियों को कब्जा कराने पर आमदा है। इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा विभाजन का दावा प्रस्तुत किया गया है। इससे प्रार्थीगण के हकों पर नकारात्मक असर होगा। इस प्रकार दौरान—ए—वाद उक्त आराजी पर रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाए रखने का निवेदन किया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद विधिवत तामिल हाजा न्यायालय नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रकरण में उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी/प्रार्थी ने दौराने जिरह प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी के हिस्से निश्चित व निर्धारित होकर दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी का बिना विभाजन करवाए दीगर व्यक्तियों को बेचान करने एवं मौके पर प्रार्थीगण को बेदखल कर दीगर व्यक्तियों को कब्जा कराने पर आमदा है। इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा विभाजन का दावा प्रस्तुत किया गया है। इससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण को राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।

4. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया है। उपरोक्त विधिक प्रावधान के संदर्भ में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—212 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—39 नियम—01 व नियम—02 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रथमदृष्टया विवाद, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना तथा प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होने के साथ प्रार्थी का आचरण बेदाग होना आवश्यक है। उक्त संदर्भ में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है।

5. प्रकरण में सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृष्टया विषयवस्तु/विवाद कारण को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी के हिस्से निश्चित व निर्धारित होकर दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी का बिना विभाजन करवाए दीगर व्यक्तियों को बेचान करने एवं मौके पर प्रार्थीगण को बेदखल कर दीगर व्यक्तियों को कब्जा कराने पर आमदा है। इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा विभाजन का दावा प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण संयुक्त आराजी के बिना विभाजन करवाए मौके पर सहकाश्तकारों के कब्जे में दखल देने तथा सहकाश्तकारों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को मौके पर संयुक्त आराजी के किसी विशेष भाग का बेचान कर कब्जा सुपुर्द करने से संबंधित है। प्रकरण में वाद के विचारण के पश्चात् ही संयुक्त आराजी के मौके पर सहखातेदारों के मौके पर किसी हिस्सा विशेष पर कब्जा व हक हिस्से के बारे में निर्णयन किया जा सकता है। इस प्रकार प्रकरण में मजबूत प्रथमदृष्टया विषयवस्तु/विवाद कारण उत्पन्न होना प्रतीत होता है। जिसका निर्धारण दावा के गुणावगुण पर साक्ष्य—सबूत लेकर ही किया जा सकता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 19:55:21 IST
Reason: SelfAttested

6. प्रकरण में अब प्रार्थीगण को होने वाली अपूर्णनीय क्षति को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी के हिस्से निश्चित व निर्धारित होकर दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी का बिना विभाजन करवाए दीगर व्यक्तियों को बेचान करने एवं मौके पर प्रार्थीगण को बेदखल कर दीगर व्यक्तियों को कब्जा कराने पर आमदा है। इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा विभाजन का दावा प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण संयुक्त आराजी के बिना विभाजन करवाए मौके पर सहकाश्तकारों के कब्जे में दखल देने तथा सहकाश्तकारों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को मौके पर संयुक्त आराजी के किसी विशेष भाग का बेचान कर कब्जा सुपुर्द करने से संबंधित है। प्रकरण में वाद के विचारण के पश्चात् ही संयुक्त आराजी के मौके पर सहखातेदारों के मौके पर किसी हिस्सा विशेष पर कब्जा व हक हिस्से के बारे में निर्णयन किया जा सकता है। दौरान–ए–वाद विवादग्रस्त आराजी के किसी हिस्सा विशेष के अंतरण होने एवं वाद के निर्णय के पश्चात् वादी के पक्ष में प्रकरण बनने की स्थिति में विवादग्रस्त आराजी में वादी के अधिकारों पर नकारात्मक व अपूर्णनीय क्षति होना प्रबल सम्भावित है। साथ ही इससे वादों की बहुलता में भी वृद्धि सम्भावित है। इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति उत्पन्न होना प्रतीत होता है।

7. प्रकरण में अब सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में झुकाव रखने के बारे में समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी के हिस्से निश्चित व निर्धारित होकर दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी का बिना विभाजन करवाए दीगर व्यक्तियों को बेचान करने एवं मौके पर प्रार्थीगण को बेदखल कर दीगर व्यक्तियों को कब्जा कराने पर आमदा है। इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा विभाजन का दावा प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण संयुक्त आराजी के बिना विभाजन करवाए मौके पर सहकाश्तकारों के कब्जे में दखल देने तथा सहकाश्तकारों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को मौके पर संयुक्त आराजी के किसी विशेष भाग का बेचान कर कब्जा सुपुर्द करने से संबंधित है। प्रकरण में वाद के विचारण के पश्चात् ही संयुक्त आराजी के मौके पर सहखातेदारों के मौके पर किसी हिस्सा विशेष पर कब्जा व हक हिस्से के बारे में निर्णयन किया जा सकता है। दौरान–ए–वाद विवादग्रस्त आराजी के किसी हिस्सा विशेष के अंतरण होने एवं वाद के निर्णय के पश्चात् वादी के पक्ष में प्रकरण बनने की स्थिति में विवादग्रस्त आराजी में वादी के अधिकारों पर नकारात्मक व अपूर्णनीय क्षति होना प्रबल सम्भावित है। इस प्रकार प्रकरण में उक्त आराजी के अंतरण पर रोक लगाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा की तुलना में प्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

8. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का प्रकरण में मजबूत विवाद विषयवस्तु प्रकट होने, प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति प्रतीत होने तथा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को हुई असुविधा की तुलना में प्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने के कारण प्रार्थी उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 19:55:21 IST
Reason: SelfAttested

मोटाराम बनाम सोनाराम
2025/102
निर्णय दिनांकः–24.03.2025

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा ताफैसल वाद संख्या 36/25 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर उभयपक्षकारान को मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी व पुष्ट की जाती है।

आज 24.03.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 19:55:21 IST
Reason: SelfAttested